न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 441/2024
सरकार बनाम वीर सिद्धू आदि।
अंतर्गत धारा– 323/34, 504, 506
भा०दं०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं०– 52/2024
थाना– हाफिजपुर, जिला– हापुड़।

<u>आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)</u>

<u>दिनांकः– 20.08.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **वीर सिद्धू, अभिनव सिद्धू, अतुल व नितिश** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **वीर सिद्धू, अभिनव सिद्धू, अतुल व नितिश** के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 323/34, 504, 506 व एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 20.08.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2025.08.26 10:43:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 441/2024
सरकार बनाम वीर सिद्धू आदि।
अंतर्गत धारा– 323/34, 504, 506
भा०दं०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं०– 52/2024
थाना– हाफिजपुर, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **वीर सिद्धू, अभिनव सिद्धू, अतुल व नितिश** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 25.03.2024 को समय 16.30 बजे, बस्थान ग्राम अकडोली, थाना हाफिजपुर, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर साशय से वादी मुकदमा के साथ स्वेच्छया से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को अपमानित करने के आशय से गंदी–गंदी गालियां दीं। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया, जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अवमानित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 20.08.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 20.08.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।